"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 मई 2017 —— वैशाख 27, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक बी-1-20/2014/एक/4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-एक, दो-क एवं दो-ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)
(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	स. क्र.	सेवा के लिये स्वीकृत वेतन बैण्ड के प्रवर्गों का विवरण	वेतन बैण्ड	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग.	1.	कनिष्ठ वेतनमान	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन	221	द्वितीय श्रेणी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग.	2.	वरिष्ठ वेतनमान	15600-39100+6600 ग्रेड वेतन	115	प्रथम श्रेणी
	3.	प्रवर श्रेणी	15600-39100+7600 ग्रेड वेतन	83	प्रथम श्रेणी
	4.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	37400-67000+8700 ग्रेड वेतन	27	प्रथम श्रेणी
	5.	अधिसमय वेतनमान	37400-67000+8900 ग्रेड वेतन	14	प्रथम श्रेणी

"अनुसूची-दो-क

(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	कॉलम (2) में दर्शित भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		टिप्पणियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन विभाग.	460	50%	50%	राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति, तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख की श्रेणी से की जाएगी (इन पदों में से 04 पद पात्र तथा उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए आयुक्तों तथा कलेक्टरों के कार्यालय के अधीक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे)."

"अनुसूची-दो-ख

(नियम 6 देखिये)

(छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा)

विभाग का नाम	राप्रसे में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन का नाम जिससे नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है.	वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन का नाम जिस पर नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जानी है.	वर्ष की एक जनवरी को उच्चतर वेतनमान के लिए अपेक्षित अर्हित सेवानुभव	नियत प्रतिशत तथा पदों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग.	460	1. कनिष्ठ वेतनमान 15600-39100+ 5400 ग्रेड वेतन	वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100+ 6600 ग्रेड वेतन	नियम 21 के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 25% अर्थात् 115 पद
		2. वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100+ 6600 ग्रेड वेतन	प्रवर श्रेणी 15600-39100+ 7600 ग्रेड वेतन	नियम 21-क के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 18% अर्थात् 83 पद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन विभाग.	460	3. प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600-39100+ 7600 ग्रेड वेतन	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी 37400-67000+ 8700 ग्रेड वेतन	नियम 21-ख के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 6% अर्थात् 27 पद
		4. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400-67000+ 8700 ग्रेड वेतन	अधिसमय वेतनमान 37400-67000+ 8900 ग्रेड वेतन	नियम 21-ग के अनुसार	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 3% अर्थात् 14 पद

टीप :- कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रवर तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या, संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं होगी."

2. यह संशोधन 1 जनवरी, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. B-1-20/2014/1/4. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh State Administrative Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For Schedule-I, II-A and II-B, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	S. No.	Description of Categories of Pay band Sanctioned for the service	Pay band	Number of Permanent posts sanctioned in each scale	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	1.	Junior Scale	15600-39100+ 5400 Grade Pay	221	Class-II
	2.	Senior Scale	15600-39100+ 6600 Grade Pay	115	Class-I
	3.	Selection Grade	15600-39100+ 7600 Grade Pay	83	Class-I
	4.	Senior Selection Grade	37400-67000+ 8700 Grade Pay	27	Class-I
	5.	Super Time Scale	37400-67000+ 8900 Grade Pay	14	Class-I

"SCHEDULE-II-A
(See Rule 6)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total Number of posts sanctioned in service	Percentage of posts shown in column (2) to be filled in by		Remarks
		Direct Recruitment	Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
General Administration Department	460	50%	50%	Promotion to the junior scale in the State Administrative Service will be from Tehsildar/Superintendent Land Records category (out of these posts 04 post will be reserved for the Superintendents of the office of Commissioners & Collectors subject to the availability of eligible and suitable persons.)"

"SCHEDULE-II-B
(See Rule 6)
(Chhattisgarh State Administrative Service)

Name of the Department	Total number of posts sanctioned in SAS	The Name of the pay band and the Grade pay from which appointment (Kromonnati) is to be given	The Name of the pay band and the Grade pay to which appointment (Kromonnati) is to be given	The requisite qualifying Service experience on 1st day of January of the year for higher scale	Fixed Percentage and maximum number of Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration Department	460	1. Junior Scale Rs. 15600-39100+ 5400 Grade Pay	Senior Scale Rs. 15600-39100+ 6600 Grade Pay	As per rule 21	25% of total posts sanctioned in Cadre i. e. 115 posts
		2. Senior Scale Rs. 15600-39100+ 6600 Grade Pay	Selection Grade Rs. 15600-39100+ 7600 Grade Pay	As per rule 21-A	18% of total posts sanctioned in Cadre i. e. 83 posts
		3. Selection Grade Rs. 15600-39100+ 7600 Grade Pay	Senior Selection Grade Rs. 37400-67000+ 8700 Grade Pay	As per rule 21-B	6% of total posts sanctioned in Cadre i. e. 27 posts
		4. Senior Selection Grade Rs. 37400-67000+ 8700 Grade Pay	Super Time Scale Pay band Rs. 37400-67000+ 8900 Grade Pay	As per rule 21-C	3% of total posts sanctioned in Cadre i. e. 14 posts

Note :- The total number of officers working in Junior, Senior, Selection and Senior Selection Grade shall not exceed the total posts sanctioned in the Cadre."

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 1st January, 2017.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.